न्यायमूर्ति मेहताब एस. गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के समक्ष,

तज़वीर और अन्य -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाताओं

सीडब्ल्यूपी नं. 1477/ 2008

25 सितंबर, 2007.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में पिछली सेवा की गिनती- अस्वीकृति- क्या एक गैर-सहायता प्राप्त निजी कॉलेज में एक व्याख्याता द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए गिना जा सकता है- , हाँ -इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज में व्याख्याताओं के कर्तव्यों का पालन किया था- केवल इसलिए कि उन्हें उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें उस अवधि को ब्रेक अवधि के रूप में रखते हुए इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है- याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा की गिनती का अधिकार है-प्रतिवादी कॉलेज ने याचिकाकर्ताओं के वेतन को उक्त अवधि के लिए जारी करने का भी निर्देश दिया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक याचिकाकर्ताओं के इस दावे का संबंध है कि वे निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में अपनी पिछली सेवा की गणना के हकदार हैं, हमारा विचार है कि यह मुद्दा पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है और मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस हद तक शामिल है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड का लाभ देने के उद्देश्य से गिना जाना है।

(Para 16)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी पक्ष द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में उक्त अवधि के लिए कॉलेज में व्याख्याताओं के कर्तव्यों का पालन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अवधि के लिए काम किया है, इसलिए वे वेतन के हकदार हैं। सिर्फ इसलिए कि उन्हें वेतन नहीं दिया गया है उक्त अवधि के लिए, उनकी कोई गलती नहीं होने पर, इस अवधि को विराम अवधि मानकर उन्हें इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन से 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 की अवधि के लिए वेतन देने के हकदार हैं। उपर्युक्त के आलोक में, सरकार द्वारा उठाई गई

आपत्ति कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, सेवा में विराम हो सकता है, भी अब नहीं है।

(Paras 18 & 20)

आर क मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार रोहिल्ला, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए नं। 1 और 2.

राम चंदर, प्रतिवादी नं. 3. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह।

(1) याचिकाकर्ता, वर्तमान रिट याचिका में, दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 (अनुलग्नक पी-15) के विवादित आदेश को रद्द करने का दावा कर रहे हैं-जिसे उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा-प्रतिवादी नं 2 ने वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को गिनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रतिवादियों को ब्याज के साथ 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 की अवधि के लिए अपना वेतन जारी करने का निर्देश देने के लिए एक रिट के लिए भी अनुरोध किया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी रूप से प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज, पूर्व शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटकमजरी (इंद्री) करनाल में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे। याचिकाकर्ता, जिन्हें विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा प्रबंधन द्वारा पदों के उचित विज्ञापन के बाद नियुक्त किया गया था, उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वे उस तारीख तक उक्त कॉलेज की सेवा करते रहे जब तक कि उनकी सेवाएं और कॉलेज हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया था-उस तारीख से ही 17 मई, 2005 के पत्र (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 30 जुलाई, 2004 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह राष्ट्रीय महाविद्यालय मटका मजरी (इंद्री) कमल को अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नं. 2,-13 अगस्त, 2004 के पत्र के माध्यम से प्रबंधन को मुख्यमंत्री के आदेश में विधिवत उल्लेख करने के बाद किसी भी शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी की भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया गया। बाद में, प्रबंधन ने 4 अगस्त, 2004 को सरकार के पक्ष में एक उपहार विलेख (अनुलग्नक पी-2) पंजीकृत कराया, जिसके माध्यम से कॉलेज की सभी चल और अचल संपत्तियों को हटा लिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए कॉलेज का नियंत्रण प्रबंधन द्वारा उस तारीख से 4 अगस्त, 2004 को उपर्युक्त उपहार विलेख को देखते हुए सरकार को सौंप दिया गया था। इसके बाद, प्राचार्य और प्रबंधन ने कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए खर्च करने की अनुमति मांगी। चूंकि जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया गया था, इसलिए कॉलेज के प्राचार्य ने-दिनांक 12 फरवरी, 2005 के पत्र के माध्यम से (अनुलग्नक पी-5) उच्च शिक्षा आयुक्त-प्रत्यर्थी नं 2 उसी को जारी करने के लिए। 17 मई, 2005 को सरकार द्वारा कॉलेज का अधिग्रहण करने के बाद भी 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को आज तक वेतन जारी नहीं किया गया है। 15 जून, 2005 को, याचिकाकर्ताओं को अस्थायी/अस्थायी आधार पर नियुक्ति के औपचारिक पत्र जारी किए गए थे और उसके बाद उनकी उपयुक्तता की जांच/निर्णय लेने पर, उन्हें 15 फरवरी, 2006

को 17 मई, 2005 यानी i.e से नियमित नियुक्ति की पेशकश की गई थी। महाविद्यालय का कार्यभार संभालने की तिथि।

(3) याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार, वे विभिन्न कॉलेजों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना करके वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के हकदार हैं, चाहे वह सरकारी हो या निजी। उन्होंने अपना दावा 8 दिसंबर, 2000 को वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक, हरियाणा को जारी पत्र (अनुलग्नक पी-12) के आधार पर किया है। 2,-हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमान में किस संशोधन का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 8 दिसंबर, 2000 के पत्र के अनुलग्नक IV के अनुसार, यह योजना विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकारों में भर्ती सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों (कृषि विश्वविद्यालयों, चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेजों को छोड़कर) पर लागू होती है। खंड उक्त अनुलग्नक के 9 में कहा गया है कि किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अन्य वैज्ञानिक संगठन आदि में व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी विराम के पूर्व सेवा। वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए गिना जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि उच्च शिक्षा आयुक्त-प्रत्यर्थी नं 2 ने 28 अगस्त, 2001 के अपने पत्र (अनुलग्नक पी-13) में स्पष्ट किया था कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रदान की गई सेवा को भी वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। इन दो पत्रों दिनांक 8 दिसंबर, 2000 (अनुलग्नक पी-12) और दिनांक 28 अगस्त, 2001 (अनुलग्नक पी-13) के आधार पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा पर विचार करके वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के हकदार हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि सरकार ने हरियाणा राज्य के 22 अन्य कॉलेजों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन सभी कर्मचारियों की पिछली सेवा, जिनकी सेवाओं को इन 22 कॉलेजों में सरकार द्वारा लिया गया है, को वरिष्ठ स्तर/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से गिना गया है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, समान रूप से रखे गए कर्मचारियों के बीच भेदभाव का एक स्पष्ट मामला है, जहां याचिकाकर्ताओं को उनके वैधानिक अधिकार के अनुसार उस लाभ से बाहर रखा गया है, जिसके वे हकदार हैं और पिछली सेवा की गिनती के लाभ के लिए अलग किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कॉलेज के प्राचार्य-प्रतिवादी नं। 3,-दिनांक 12 जून, 2006 के उनके पत्र (अनुलग्नक पी-14) में उच्च शिक्षा आयुक्त-प्रत्यर्थी नं. 2 कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज में प्रदान की गई सेवा, जिसे सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था, को वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से गिना जाएगा। हालांकि, उक्त अनुरोध को प्रतिवादी नं. 2,-दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के पत्र (अनुलग्नक पी-15) के माध्यम से इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं को सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को लेने के बाद प्रारंभिक ग्रेड में नियुक्त किया गया था,-उस तारीख से ही 17 मई, 2005 के पत्र के माध्यम से। इस पत्र में एक विशिष्ट शर्त निर्धारित की गई थी कि कॉलेज का अधिग्रहण करने से पहले सरकार किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और इन व्याख्याताओं को कॉलेज के अधिग्रहण की तारीख से सरकारी सेवा में माना जाएगा और उनकी वरिष्ठता पर भी विचार किया जाएगा। यह पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 (अनुलग्नक पी-15) जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान रिट याचिका में आक्षेप किया गया है।

(5) नोटिस जारी किए जाने पर, प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने लिखित बयान दायर किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे की अस्वीकृति के लिए बताए गए आधार-दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के पत्र (अनुलग्नक पी-15) को दोहराया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को रुपये के प्रारंभिक ग्रेड पर नियुक्त किया गया था। 8,000-13,500 इस शर्त पर कि सरकार कॉलेज का अधिग्रहण करने से पहले किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और याचिकाकर्ताओं को कॉलेज के अधिग्रहण की तारीख से सरकारी सेवा में माना जाएगा, यह भी इस शर्त के अधीन था कि वे इस प्रभाव के लिए हलफनामे प्रस्तुत करेंगे कि वे गैर-सहायता प्राप्त निजी कॉलेज में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के किसी भी लाभ का दावा नहीं करेंगे। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने शपथपत्र प्रस्तुत किए कि वे राज्य सरकार द्वारा अपनी नियुक्ति के बाद किसी भी न्यायालय मामले के माध्यम से पिछली सेवा के किसी भी लाभ का दावा नहीं करेंगे, इसके अलावा यह वचन देते हुए कि सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति के मामले में, वे सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति, वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के संबंध में सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। प्रत्यर्थियों द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 17 मई, 2005 के पत्र और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के मद्देनजर, उन्हें कॉलेज का कार्यभार संभालने की तारीख से वरिष्ठता प्रदान की गई है और तदनुसार, उनका वेतन व्याख्याताओं के लिए निर्धारित वेतनमान के प्रारंभिक चरण में निर्धारित किया गया है।

(6) यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28 अगस्त, 2001 के पत्र में (अनुलग्नक पी-13) यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार किसी कॉलेज में व्याख्याता द्वारा प्रदान की गई सेवा को उस अवधि के लिए गिनने के लिए सहमत हो गई है जब वह एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान बना रहा था, उसी तरह जैसे सहायता प्राप्त संस्थान के मामले में वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से, इस शर्त के साथ कि व्याख्याता का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं और शर्तों को पूरा किया गया था। याचिकाकर्ताओं का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए उनके मामले को कॉलेज के प्रबंधन द्वारा अधिसूचना 338 I.L.R के मद्देनजर अग्रेषित नहीं किया गया था। पंजाब और हरियाणा 2008 (2) दिनांक 8 दिसम्बर, 2000। कॉलेज का प्रबंधन 17 मई, 2005 को राज्य सरकार द्वारा कॉलेज का अधिग्रहण करने से पहले इसे प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध था और इसलिए, अब याचिकाकर्ता निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के इस दावे के संबंध में कि राज्य सरकार ने पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए अन्य 22 कॉलेजों को समान लाभ प्रदान किया था, उत्तरदाताओं नं। 1 और 2 ने प्रस्तुत किया है कि इन 22 कॉलेजों में से 21 कॉलेजों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि कॉलेजों में से एक, राष्ट्रीय महाविद्यालय कॉलेज, तारौ, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले स्व-वित्तपोषण योजना के तहत चलाया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि उक्त संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान था।

(7) यह उत्तरदाता नं। 1 और 2 कि दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 के पत्र में विहित शर्त जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी विराम के पूर्व सेवा की गणना के लिए उपबंध करती है। पूरा नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कॉलेज का कार्यभार संभालने से पहले 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 तक वेतन नहीं मिला है, जो सेवा में विराम अवधि के बराबर है। जहां तक 1 अगस्त, 2004 से 16

मई, 2005 की अवधि के वेतन का संबंध है, उत्तरदाता नं. 1 और 2 वह पत्र दिनांक 17 मई, 2005 i.e. के अनुसार है। जिस तारीख को कॉलेज को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था, उस दिन एक विशिष्ट शर्त थी नं 6 कि "सरकार महाविद्यालय के अधिग्रहण से पहले कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी। शहीद उधम सिंह राष्ट्रीय महाविद्यालय, मटका मजरी (इंद्री) कमल का प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार होगा "और चूंकि यह दायित्व महाविद्यालय के अधिग्रहण से पहले की अवधि के लिए है, इसलिए महाविद्यालय का तत्कालीन प्रबंधन ऐसे सभी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है जो कर्मचारियों को किए जाने की आवश्यकता थी, या महाविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी के बिल या. विश्वविद्यालय का बकाया या कोई अन्य बकाया। याचिकाकर्ताओं के उक्त अवधि के लिए कॉलेज में काम करने के संबंध में तथ्य को उत्तरदाताओं द्वारा अपने लिखित बयान में विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। अतः एकमात्र आपत्ति यह है कि वे कॉलेज में व्याख्याताओं के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(8) प्रत्यर्थी सं। 3 ने एक अलग लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 4 अगस्त, 2004 के उपहार विलेख के पंजीकरण के बाद प्रत्यर्थी सं. 3 प्रत्यर्थी नं. 1 जो प्रत्यर्थी-प्रबंधन समिति की सभी संपत्तियों का स्वामी बन गया। इसके आलोक में, प्रत्यर्थी नं. 1 उपहार विलेख i.e के पंजीकरण के बाद उपार्जित सभी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हो गया था। 4 अगस्त, 2004। प्रतिवादी नं. 3, इसका कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं था, जब एक बार प्रत्यर्थी नं। 1. यह कहा गया है कि एक बार जब मुख्यमंत्री ने कॉलेज को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले लिया है, तो कॉलेज की सभी देनदारियों का निर्वहन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना है क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्णय हरियाणा सरकार के व्यापार नियम, 1977 के मद्देनजर सरकार का निर्णय है और कॉलेज की पूर्व प्रबंध समिति का संपत्ति और देनदारियों से कोई लेना-देना नहीं था, विशेष रूप से जब कॉलेज की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री के 30 जुलाई, 2004 के निर्णय के अनुसरण में सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसे 4 अगस्त, 2004 के उपहार विलेख द्वारा प्रभावी किया गया था। मुख्यमंत्री के उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है और एक औपचारिक आदेश भी दिया गया है-13 अगस्त, 2004 के पत्र के माध्यम से यह भी बताया गया है कि 4 अगस्त, 2004 को उपहार विलेख निष्पादित होने के बाद, सरकार का यह रुख कि कॉलेज वास्तव में 17 मई, 2005 को संभाला गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद सभी देनदारियां सरकार की होंगी।

(9) हमने पक्षकारों के वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के अभिलेखों को देखा है।

(10) यह याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पिछली गैर-सहायता प्राप्त संस्था में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गिनती के संबंध में, वही इस न्यायालय के फैसले द्वारा C. W.R No. 1999 का 11125, डॉ. रोमिला जैन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ने 27 जनवरी, 1995 को निर्णय लिया (अनुलग्नक पी-9) जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय में किसी व्याख्याता द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवा ऐसे व्याख्याताओं को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए गिने जाने के लिए उत्तरदायी है जो 340 I.L.R से त्यागपत्र देने के बाद सरकारी महाविद्यालय में सेवा में शामिल हुए थे। पंजाब और हरियाणा 2008 (2) निजी कॉलेजों से सेवा। लेटर्स पेटेंट अपील, i.e. एलपीएएनओ। इस निर्णय के विरुद्ध 1995 की धारा 686 को इस न्यायालय द्वारा 12 जनवरी, 1996 को खारिज

कर दिया गया था और उसके बाद एसएलपी सं. हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 1996 का 12441 भी 12 नवंबर, 1996 को खारिज कर दिया गया था। यहां तक कि हरियाणा राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक समीक्षा याचिका को भी 28 अप्रैल, 1999 को खारिज कर दिया गया था। इसलिए एकमात्र आपत्ति जो बनी हुई है वह यह है कि प्रत्यर्थियों के रुख के अनुसार सेवा में विराम है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को संभालने से पहले उक्त अवधि के लिए कॉलेज में काम किया था-17 मई, 2005 के पत्र के माध्यम से।

(11) याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त पदों पर काम किया है, इसलिए वे उक्त अवधि के लिए वेतन का दावा करने के हकदार हैं। उन्हें उनके वेतन का भुगतान न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जिसका दायित्व या तो राज्य या निजी प्रबंधन पर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता थी और उन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को बिना किसी विराम के निरंतर माना जाना चाहिए। उत्तरदाताओं के रुख के संबंध में नं। 1 और 2 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के लाभों के गैर-दावे के संबंध में, जिसे सरकार द्वारा लिया गया था, वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता अपने द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए वरिष्ठता और अन्य लाभों का दावा नहीं कर रहे हैं। वे जो दावा कर रहे हैं वह एक वैधानिक अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि क़ानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अन्य 22 निजी कॉलेज और उनके कर्मचारी जिन्हें सरकार द्वारा लिया गया था, उन्हें वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड के लिए उनकी सेवा की गिनती का लाभ दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अलग कर दिया गया है, हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि कॉलेजों में से एक i.e. राष्ट्रीय महाविद्यालय महाविद्यालय, तारौ, एक गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालय था जैसा कि शहीद उधम सिंह राष्ट्रीय महाविद्यालय, मटका माजरी (इंद्री) करनाल था।

(12) उत्तरदाताओं के लिए वकील नं। 1 और 2 प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं उनकी नियुक्ति के पत्रों द्वारा शासित होती हैं जो दिनांक 17 मई, 2005 के पत्र के आधार पर जारी किए गए थे-जिसके अनुसार कॉलेज का अधिग्रहण किया गया था। नियुक्ति पत्रों को जारी किया गया था विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति, वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के संबंध में सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और वे किसी भी न्यायालय के माध्यम से पिछले सेवा लाभों का दावा नहीं करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार अपने हलफनामे प्रस्तुत किए थे और इसलिए, अब उनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसके अलावा, 17 मई, 2005 के पत्र के अनुसार, जिसमें कॉलेज का अधिग्रहण किया गया था, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि कॉलेज के कर्मचारियों को पदभार संभालने की तारीख से सरकारी सेवा में माना जाएगा और उनकी वरिष्ठता केवल सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाएगी। सभी नियुक्तियां नई नियुक्तियां होंगी और उक्त कर्मचारियों का वेतन सरकार के व्याख्याताओं के लिए निर्धारित वेतनमान के प्रारंभिक पैमाने पर तय किया जाएगा और सरकारी नियमों/निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(13) इन प्रस्तुतियों के आलोक में, श्री राठी, विद्वान श्री डी. ए. क्यू. फ्लारियाना का तर्क है कि याचिकाकर्ता उस दावे के हकदार नहीं हैं जो वे वर्तमान रिट याचिका में कर रहे हैं। जहां तक 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 की अवधि के लिए वेतन का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अवधि के लिए सेवा प्रदान की है, लेकिन यह कॉलेज के प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में था क्योंकि कॉलेज को केवल 17 मई, 2005 को लिया गया था, जब 17 मई, 2005 के पत्र में ही शर्त-6 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि सरकार शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका मजरी (इंद्री) करनाल और कंडीशन-II के अधिग्रहण से पहले किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करेगी।

(14) राज्य के वकील ने पंजाब राज्य बनाम देव दत्त कौशल[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है कि पक्षकार उपहार विलेख और कॉलेज के अधिग्रहण के दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों से बाध्य हैं। चूंकि उक्त नियम और शर्तें सभी i.e. द्वारा स्वीकार की गई हैं। सरकार, निजी गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालय का प्रबंधन और याचिकाकर्ता, कोई भी पक्ष अब यह नहीं कह सकता कि वे इससे बाध्य नहीं हैं।

(15) प्रत्यर्थी के लिए वकील नं. 3 ने लिखित कथन में अपने पक्ष की तर्ज पर यह प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि चूंकि उपहार विलेख 4 अगस्त, 2004 को निष्पादित किया गया था, इसलिए प्रबंधन का कॉलेज पर कोई नियंत्रण नहीं था और इसलिए, वे याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं के वेतन के दावे को पूरा करना सरकार का दायित्व है।

(16) हमने पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है। जहां तक याचिकाकर्ताओं के दावे का संबंध है कि वे निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में अपनी पिछली सेवा की गणना के हकदार हैं, हमारा विचार है कि यह बिंदु पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है और मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस हद तक शामिल है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को C.W.P. में पारित निर्णय के आलोक में वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड का लाभ देने के उद्देश्य से गिना जाना है। नं. 1995 का 11125 डॉ. रोमिला जैन बनाम हरियाणा राज्य और 27 जनवरी, 1995 को एक अन्य निर्णय (अनुलग्नक पी-9) जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। यह तथ्य उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा द्वारा 28 अगस्त, 2001 को जारी पत्र (अनुलग्नक पी-13) में परिलक्षित होता है। 2, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने किसी महाविद्यालय में किसी व्याख्याता द्वारा दी गई सेवा को उसी अवधि के लिए गणना करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिस अवधि के लिए वह एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान बना रहा था, जैसे कि सहायता प्राप्त संस्थान के मामले में वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से इस शर्त के साथ कि व्याख्याता का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं और शर्तों को पूरा किया गया था। F.I. 6/890 (P.S.) प्रकोष्ठ) दिनांक 27 नवंबर, 1990 को हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित-पत्र सं. 1199 एडयू-I (1) दिनांक 18 दिसंबर, 2000।

(17) इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता वाला प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 तक की सेवा की अवधि, जिसके लिए उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, ब्रेक अवधि के बराबर होगी और इसलिए, उन्हें वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा क्योंकि यह आदेश का उल्लंघन करेगा।

---

[1] (1) AIR 1996 S.C. 85

दिनांक 18 दिसंबर, 2000 के पत्र में आवश्यकतानुसार निरंतर सेवा की शर्त?

(18) यह किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में उक्त अवधि के लिए कॉलेज में व्याख्याताओं के कर्तव्यों का पालन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अवधि के लिए काम किया है, इसलिए वे वेतन के हकदार हैं। केवल इसलिए कि उन्हें उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उनकी कोई गलती नहीं है, इस अवधि को विराम अवधि मानकर उन्हें इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि क्या इसका भुगतान सरकार या प्रबंधन द्वारा किया जाना है। दिनांक 7 मई, 2005 के पत्र का अवलोकन (अनुलग्नक पी-6)-जिसमें कॉलेज को अधिग्रहित किया गया था, अधिग्रहण के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करता है। शर्त नं. 1 में कहा गया है कि शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका मजरी (इंद्री) कमल, वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को गिरवी रखी गई चल और अचल और बंदोबस्ती निधियों को उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा चंडीगढ़ के नाम पर सरकार को हस्तांतरित करेगा। शर्त-6 सरकार कॉलेज के अधिग्रहण से पहले कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका माजरी (इंद्री) करनाल का प्रबंधन जिम्मेदार होगा। शर्त-11 में कहा गया है कि सरकार द्वारा कॉलेज का अधिग्रहण करने के बाद कॉलेज की पूरी अचल और अचल संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी।

(19) इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कॉलेज और कॉलेज के कर्मचारियों की सेवाओं को सरकार ने 17 मई, 2005 को अपने हाथ में ले लिया था। इन नियमों और शर्तों के अनुसार, जो प्रबंधन और याचिकाकर्ता दोनों द्वारा स्वीकार किए गए थे, उस तारीख से पहले का दायित्व शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका माजरी (इंद्री) कमाल के प्रबंधन का है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित शर्तों 1,6 और 11 से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी नं. 3 कि महाविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेने के मुख्यमंत्री के निर्णय या उपहार विलेख के पंजीकरण की तिथि पर महाविद्यालय की अचल और अचल संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में आ गईं, को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कॉलेज का प्रबंधन सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक कॉलेज के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चला रहा था। केवल इसलिए कि उन्होंने धन खर्च करने के लिए मंजूरी मांगी थी, इसका मतलब यह नहीं है कि कॉलेज का प्रबंधन सरकार के साथ था। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षण सरकार के पास था लेकिन वास्तविक नियंत्रण कॉलेज के प्रबंधन के पास था। 17 मई, 2005 को एच. सी. सरकार द्वारा कॉलेज के अधिग्रहण के बाद ही नियंत्रण वास्तव में हाथ बदल गया।

(20) उपरोक्त के आलोक में, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन से 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 की अवधि के लिए वेतन प्रदान करने के हकदार हैं। उपर्युक्त के आलोक में, सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, सेवा में विराम हो सकता है, भी अब नहीं है।

(21) सरकार की यह आपत्ति कि याचिकाकर्ता अपने नियुक्ति पत्रों की शर्तों से बाध्य हैं, जिसके अनुसार वे अपनी पिछली सेवा के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, हमारे विचार में भी गलत धारणा है। 17 मई, 2005 को लिखे गए पत्र-v/f/e, जिसमें सरकार द्वारा कॉलेज का अधिग्रहण किया गया था, में कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई थीं। कर्मचारियों से संबंधित शर्तें 2 से 5 और 12 जो यहां नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:—

"2. ऐसे कर्मचारी जो सरकार द्वारा कॉलेज का कार्यभार संभालने की तारीख को कॉलेज की सेवा में हैं, और जिन्होंने कॉलेज में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को योग्यता को पूरा किया है और जिनकी नियुक्तियों को संबंधित

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है और सरकार में उनका नियमितीकरण किया जा सकता है। सेवा हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुमोदन के अधीन होगी।

3. कॉलेज के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में माना जाएगा, केवल कार्यभार संभालने की तारीख से सेवा और उनकी वरिष्ठता केवल सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाएगी। लेकिन उनके हस्तक्षेप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में कोई बदलाव नहीं होगा (Augustine George Masih, J.)

महाविद्यालय में 345 वरिष्ठता और सभी नियुक्तियां नई नियुक्तियां होनी चाहिए।

4. अधिग्रहित कर्मचारियों का वेतन सरकार में पद के वेतनमान के प्रारंभिक चरण में तय किया जाएगा। * और सरकार, नियमों/निर्देशों के अनुसार नियमित किया गया।

5. सभी कर्मचारी एक वचन देंगे कि वे सरकार द्वारा नियुक्ति, वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के संबंध में सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

12. पात्र संबंधित कर्मचारियों से एक लिखित शपथ पत्र भी लिया जा सकता है कि वे किसी भी न्यायालय के माध्यम से किसी भी पिछले सेवा लाभ का दावा कभी नहीं करेंगे।

(22) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि केवल ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी जो राज्य में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को योग्यता को पूरा करते हैं। महाविद्यालय और जिनकी नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। उन्हें केवल पदभार ग्रहण करने की तारीख से सरकारी सेवा में माना जाएगा और उनकी वरिष्ठता केवल सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाएगी। उनकी नियुक्ति एक नई नियुक्ति होगी और सरकार में पद के वेतनमान के प्रारंभिक चरण में निर्धारित वेतन और सरकारी नियमों/निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(23) याचिकाकर्ता वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से सेवा में माना जाएगा और उनकी नियुक्ति एक नई नियुक्ति होगी। जहां तक उनके वेतन का संबंध है, शर्त 4 में कहा गया है कि उन्हें सरकार में पद के वेतनमान के प्रारंभिक चरण में तय किया जाएगा। हालांकि, इसमें आगे कहा गया है कि वेतन को सरकारी नियमों/निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि उनके वेतन को नियमित करने के चरण में, वे सरकारी नियमों/निर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगे। सरकार इस तथ्य से अवगत थी कि क़ानून के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है और याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करने के बावजूद कि वे कभी भी किसी भी न्यायालय के माध्यम से किसी भी पिछले सेवा लाभ का दावा नहीं करेंगे, वे अपने वेतन के निर्धारण के हकदार होंगे जब भी यह सरकारी नियमों/निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाता है।

"पिछले सेवा लाभों का दावा नहीं करने" का क्या अर्थ था इसे समझने के लिए, इसे शर्त 3 i.e में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों के साथ पढ़ना होगा। वरिष्ठता और उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से सरकारी सेवा में होना उनकी नियुक्ति के रूप में एक नई नियुक्ति थी।

(24) उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता नियमों/निर्देशों के तहत अपने वेतन के निर्धारण के हकदार हैं और इस प्रकार, अधिसूचना, दिनांक 8 दिसंबर, 2000 और परिणामस्वरूप, वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के लाभ के हकदार होंगे।

(25) याचिकाकर्ताओं के दावे को इस आधार पर भी अनुमति दी जानी चाहिए कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 22 कॉलेजों के समान रूप से रखे गए कर्मचारियों को निजी संस्थानों के तहत उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा

की गणना करके वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था, जिनमें से एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान i.e था। राष्ट्रीय महाविद्यालय महाविद्यालय, तारौ और शहीद उधम सिंह राष्ट्रीय महाविद्यालय, मटका माजरी (इंद्री) करनाल में याचिकाकर्ता काम कर रहे थे।

(26) उत्तरदाताओं का तर्क सं। 1 और 2 यह कि याचिकाकर्ताओं का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था, केवल दिनांक 8 दिसंबर, 2000 के पत्र के अनुलग्नक IV के खंड 9 (अनुलग्नक पी-12) को ध्यान में रखते हुए नोट और अस्वीकार किया जाना चाहिए, जो वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमान के संशोधन से संबंधित है और पिछली सेवा की गिनती से भी संबंधित है। वही प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

"9. पिछली सेवा की गणनाः (I) एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, या अन्य वैज्ञानिक संगठन में व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी ब्रेक के पिछली सेवा, e.g। सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर और यूजीसी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में सीनियर स्केल/सिलेक्शन ग्रेड में लेक्चरर के प्लेसमेंट के लिए गिना जाना चाहिए बशर्ते किः (i) पद लेक्चरर के पद के रूप में समकक्ष ग्रेड/वेतनमान में था।

(ii) पद के लिए योग्यता व्याख्याता के पद के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं थी।

(iii) सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए।

(iv) संबंधित व्याख्याताओं के पास व्याख्याताओं के रूप में नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ थीं।

(v) पद विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया था।

(vi) नियुक्ति तदर्थ या एक वर्ष से कम अवधि की छुट्टी रिक्ति में नहीं थी। एक वर्ष से अधिक अवधि की तदर्थ सेवा की गणना की जा सकती है बशर्ते किः-(क) तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक अवधि की थी।

(ख) पदधारी को विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था; और (ग) पदधारी को बिना किसी विराम के तदर्थ सेवा को जारी रखते हुए स्थायी पद के लिए चुना गया था।

(27) ये वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तें हैं। उपखंड (v), जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, पद को विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संस्थान के विनियमों द्वारा निर्धारित निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरने की अपेक्षा करता है। दिनांक 17 मई, 2005 का पत्र (Annexure P-6),कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय कॉलेज को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, जिसमें कहा गया है कि केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं को सरकार द्वारा कॉलेज से लिया जाएगा जो कॉलेज में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को योग्यता को पूरा करते हैं और जिनकी नियुक्तियों को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने कॉलेज में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को योग्यता को पूरा किया, न ही यह विवादित है कि उनकी नियुक्तियों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऐसा होने पर, सरकार का रुख पूरी तरह से अनुचित और अभिलेखों के खिलाफ है। इस प्रकार उत्तरदाताओं के इस तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(28) जहां तक राज्य सरकार द्वारा 17 मई, 2005 को कॉलेज के अधिग्रहण से पूर्व दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के प्रबंधन द्वारा मामले को प्रस्तुत न करने के संबंध में राज्य के तर्क का संबंध है, उसे अधिक से अधिक उस कॉलेज के प्रबंधन की ओर से अनियमितता या चूक कहा जा सकता है जहां याचिकाकर्ता कार्यरत थे। उक्त चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि सरकार ने 17 मई, 2005 को कॉलेज का अधिग्रहण किया था, इसलिए अब यह उनके लिए है कि वे अपनी 8 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-12) और 28 अगस्त, 2001 के पत्र के आलोक में याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें (Annexure P-13).

(29) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी नं. 3-शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका माजरी (इंद्री) कमाल के प्रबंधन को 1 अगस्त, 2004 से 16 मई, 2005 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं का वेतन आज से एक महीने की अवधि के भीतर जारी करने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 का विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-15)-प्रत्यर्थी नं. 2 को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज i.e में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा की गिनती का हकदार माना जाता है। वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मटका माजरी (इंद्री) करनाल। नतीजतन, उत्तरदाता नं। 1 और 2 को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने और उसके बाद एक महीने के भीतर परिणामी लाभ प्रदान करने/जारी करने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा